



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052020-219623
CG-DL-E-28052020-219623

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]
No. 252]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 2020/ज्येष्ठ 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 2020/JYAISHTHA 7, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मई, 2020
आयकर

सा.का.नि. 329(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285 खख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये 1 जून, 2020 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 में,-
(I) नियम 31कख का लोप किया जाएगा ;
(II) नियम 114ज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वार्षिक सूचना विवरण

114-झ (1) आय-कर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285खख के अधीन, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते में प्ररूप सं. 26कध में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सूचना अंतर्विष्ट करते हुए ऐसा वार्षिक सूचना विवरण, जो उसके कब्जे में है उस मास के अंत से, जिसमें उसके द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है, तीन मास के भीतर अपलोड करेगा, :

सारणी

क्रम सं.	सूचना की प्रकृति
(1)	(2)
(i)	स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण से संबंधित सूचना
(ii)	विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित सूचना
(iii)	कर संदाय से संबंधित सूचना
(iv)	मांग और प्रतिदाय से संबंधित सूचना
(v)	लंबित कार्यवाहियों से संबंधित सूचना
(vi)	संपूर्ण कार्यवाहियों से संबंधित सूचना

(2) बोर्ड, आय-कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भी, किसी अधिकारी, प्राधिकारी या किसी विधि के अधीन किसी कृत्य का पालन करने वाले किसी निकाय से प्राप्त सूचना को या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना को या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किसी सूचना को, उस विस्तार तक, जहां तक वह, उसे उप नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरण में राजस्व के हित में ठीक समझे, अपलोड करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) आय-कर प्रधान महा निदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली), उप नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक सूचना विवरण अपलोड करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाएं, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा।

(III) परिशिष्ट 2 के प्ररूप 26कध के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप 26कध	वार्षिक सूचना विवरण (नियम 114-झ देखें)	वित्तीय वर्ष XXXX-XX
		निर्धारण वर्ष XXXX-XX

भाग क

स्थायी खाता संख्यांक :		आधार संख्या	
नाम :			
जन्म/निगमन की तारीख:			
मोबाइल नं. :			
ईमेल पता:			
पता:			

भाग ख

क्रम सं.	सूचना की प्रकृति
(1)	(2)
(1)	स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण से संबंधित सूचना
(2)	विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार से संबंधित सूचना
(3)	कर संदाय से संबंधित सूचना
(4)	मांग और प्रतिदाय से संबंधित सूचना

(5)	लंबित कार्यवाहियों से संबंधित सूचना
(6)	संपूर्ण कार्यवाहियों से संबंधित सूचना
(7)	नियम 114-इ के उपनियम (2) के संबंध में कोई अन्य सूचना

[अधिसूचना सं. 30/2020/फा.सं. 370142/20/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 315(अ), तारीख 27 मई, 2020 द्वारा आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by section 285BB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

- 1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force with effect from the 1st day of June, 2020.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 –**
 - (I) rule 31AB shall be omitted;
 - (II) after rule 114H, the following rule shall be inserted, namely:—

“Annual Information Statement

114-I. (1) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or any person authorised by him shall, under section 285BB of the Income-tax Act, 1961, upload in the registered account of the assessee an annual information statement in Form No. 26AS containing the information specified in column (2) of the table below, which is in his possession within three months from the end of the month in which the information is received by him:—

TABLE

Sl. No	Nature of information
(1)	(2)
(i)	Information relating to tax deducted or collected at source
(ii)	Information relating to specified financial transaction
(iii)	Information relating to payment of taxes
(iv)	Information relating to demand and refund
(v)	Information relating to pending proceedings
(vi)	Information relating to completed proceedings

(2) The Board may also authorise the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or any person authorised by him to upload the information received from any officer, authority or body performing any function under any law or the information received under an agreement referred to in section 90 or section 90A of the Income-tax Act, 1961 or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of the revenue in the annual information statement referred to in sub-rule (1).

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for the purposes of uploading of annual information statement referred to in sub-rule (1).”

(III) in Appendix II, Form 26AS shall be substituted by the following Form, namely:-

“

Form 26AS	Annual Information Statement [See rule 114-I]	Financial Year: XXXX-XX
		Assessment Year: XXXX-XX

Part A

Permanent Account Number:		Aadhaar Number:	
Name :			
Date of Birth/Incorporation:			
Mobile No. :			
Email Address :			
Address:			

Part B

Sl. No	Nature of information
1.	Information relating to tax deducted or collected at source
2.	Information relating to specified financial transaction
3.	Information relating to payment of taxes
4.	Information relating to demand and refund
5.	Information relating to pending proceedings
6.	Information relating to completed proceedings
7.	Any other information in relation to sub-rule (2) of rule 114-I

”

[Notification No. 30/2020/F. No. 370142/20/2020-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazetted of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2020 *vide* notification No. G.S.R. 315(E), dated the 27-5-2020.